झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक - भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ -

(i) यह संशोधन विधेयक "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय - 2

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) को निम्नवत संशोधित किया जाता है -

1. धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) के उपधारा (1) का प्रतिस्थापन वर्त्तमानधारा (3) की उपधारा (1) का प्रावधान :-

"इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे -

a) बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल पर होगी।

b) जय प्रकाश विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय छपरा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण सारण प्रमंडल पर होगी।

c) तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय भागलपुर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल पर होगी।

d) सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दुमका में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दुमका प्रमंडल पर होगी।

e) राँची विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय राँची में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी।

f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगी।

बशर्त्ते कि होमियोपैथी, स्वदेशी दवाइयाँ संबंधी शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा ऐसी भाषाओं जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में शैक्षिक उत्कृटता प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिकारिता सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगी।

g) मगध विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय बोधगया (गया) में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मगध प्रमंडल (वैसे महाविद्यालयों को छोड़कर जो पटना विश्वविद्यालय, पटना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं) और पटना प्रमंडल के नालन्दा जिला पर होगी।

h) वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय आरा में होगा और जिसकी अधिकारिता पटना प्रमंडल के पटना तथा नालन्दा जिलों को छोड़कर अन्य भागों पर होगा।

i) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल पर होगी।

j) भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मधेपुरा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण कोशी तथा पूर्णिया प्रमंडल पर होगी।

k) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय दरभंगा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी।

l) मौलाना मजहरूल हक अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय पटना तथा अरबी एवं फारसी में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी।

m) नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण पलामू प्रमंडल पर होगी।

n) कोल्हान विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय चाईबासा में होगा और जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण कोल्हान प्रमंडल पर होगी।

बशर्त्ते कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कार्य एवं कर्त्तव्य का निर्धारण कर सकेगी।

बशर्त्ते यह भी कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र को बदल सकेगी।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो -

1. **धारा 3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा(1) का प्रतिस्थापन :-**

"(a) विलोपित"

"(b) विलोपित"

"(C) विलोपित"

"(f) विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।"

"(g) विलोपित"

"(h) विलोपित"

"(i) विलोपित"

"(j) विलोपित"

"(k) विलोपित"

"(l) विलोपित"

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के धारा(3) की उपधारा(1) के अंत में, निम्नलिखित उपधारा को उपधारा-1(O) के रूप में समावेशित किया जायेगा :-

"3(1)(O) विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जिसका मुख्यालय धनबाद में होगा और जिसकी अधिकारिता पूरे बोकारो तथा धनबाद जिलों पर होगा"

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के धारा (3) की उपधारा-1(O) के अंत में, निम्नलिखित उपधारा को उपधारा 1(P) के रूप में समावेशित किया जायेगा:-

"3(1)(P) राँची कॉलेज को उत्क्रमित कर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविधालय, राँची, जिसका मुख्यालय राँची होगा।"

2. धारा 10 (कुलपति) की उपधारा (1) में समावेशन

उपधारा 10(1) का वर्तमान प्रावधानः-

"ऐसा कोई भी व्यक्ति कुलपति के कार्यालय के लिए योग्य नहीं होगा जो कि कुलाधिपति के राय में अपनी विद्वता तथा शैक्षिक अभिरूचि के लिए विख्यात नही हो।"

निम्नलिखित प्रावधान इसमें समावेशित हो -

"इसके आगे, यह वांछनीय होगा कि व्यक्ति को सरकार के स्तर पर अथवा विश्वविद्यालय के स्तरपर प्रशासकीय अनुभव हो।"

3. धारा 12A(वित्तीय सलाहकार) की उपधारा (I) का प्रतिस्थापन :-

उपधारा 12A (1) का वर्त्तमान प्रावधान :

"वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी के पुर्नःनियोजन के द्वारा कुलाधिपति करेंगे, जबतक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकेंगें।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो :-

"वित्तीय सलाहकार एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति या तो प्रतिनियुक्ति या भारतीय लेखा परीक्षण सेवा या भारत सरकार की कोई अन्य लेखा सेवा के अधिकारी, या झारखण्ड वित्त सेवा के सहायक आयुक्त के पद से नीचे नहीं के अधिकारी का पुर्नःनियोजन कुलाधिपति करेंगे। जबतक ऐसे किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक पदधारी वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर सकेंगें।"

4. धारा 57 की उपधारा 57(2)(b) में समायोजन :-

धारा 57 (2)(b) का वर्त्तमान प्रावधान :

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष तक मान्य होगी। विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति के दोगुनी होगी, परन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा।

बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप तैयार एवं भेजे गए आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो:-

"विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु, आयोग वैसे अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड जिसमें न्यूनतम 55

प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो-तद्नुसार एक प्वाइन्ट स्केल के अन्तर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/झारखण्ड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों बशर्ते, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएच0डी0 डिग्री के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि नियमन 2009 के अनुरूप डिग्री प्रदान हुई है, को नेट/जेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जायेगी।

इसके बावजूद भी **"दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम. फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच0डी0 डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी:-**

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की गई हो।

(ख) कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

(ग) अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो।

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

(ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियाँ सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दी हैं।

उपरोक्त (क) से लेकर (ङ) कुलपति/प्रति कुलपति/डीन (अकादमिक मामले)/डीन

(विश्वविद्यालय अनुदेश) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।"

साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा। एवं ऐसी सूची अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक मान्य होगी। विषयवार योग्यता सूची में (अभ्यर्थियों) की संख्या रिक्ति की दोगुनी होगी परन्तु आयोगएक रिक्ति के विरूद्ध मेधा के आधार पर सिर्फ एक नाम विश्वविद्यालय को नियुक्ति हेतु भेजेगा।

बशर्ते कि आयोग विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में नियुक्ति हेतु लागू आरक्षण नियम के अनुरूप तैयार एवं भेजे गये आरक्षण रोस्टर के अनुरूप ही विश्वविद्यालय को मेधा सूची से नामों की अनुशंसा भेजेगा।

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 दिनांक 02 फरवरी, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 02 फरवरी, 2017 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 143--50--23-2-2017